



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, FRIDAY, AUGUST 24, 2012
(BHADRA 2, 1934 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 24th August, 2012

No. 29-HLA of 2012/57.—The Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Bill, 2012, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 29 — HLA of 2012

THE HARYANA GOOD CONDUCT PRISONERS (TEMPORARY RELEASE) AMENDMENT BILL, 2012

A

BILL

*further to amend the Haryana Good Conduct Prisoners
(Temporary Release) Act, 1988.*

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-third Year of the Republic of India.

1. This Act may be called the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Amendment Act, 2012. Short title

Price : Rs. 5.00

(2919)

Amendment of
section 2 of
Haryana Act 28
of 1988

2. In the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Act, 1988 (hereinafter called the principal Act), in section 2, after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:—

“(aa) “hardcore prisoner” means a person, who—

- (i) has been convicted of dacoity, robbery, kidnapping for ransom, murder with rape, serial killing, contract killing, murder or attempt to murder for ransom or extortion, causing grievous hurt, death or waging or attempting to wage war against Government of India, buying or selling minor for purposes of prostitution or rape with a woman below sixteen years of age or such other offence as the State Government may, by notification, specify; or
- (ii) during any continuous period of five years has been convicted and sentenced to imprisonment twice or more for commission of one or more of offences mentioned in chapter XII or XVII of the Indian Penal Code, except the offences covered under clause (i) above, committed on different occasions not constituting part of same transaction and as a result of such convictions has undergone imprisonment atleast for a period of twelve months:

Provided that the period of five years shall be counted backwards from the date of second conviction and while counting the period of five years, the period of actual imprisonment or detention shall be excluded

Explanation.—A conviction which has been set aside in appeal or revision and any imprisonment undergone in connection therewith shall not be taken into account for the above purpose; or

- (iii) has been sentenced to death penalty; or
- (iv) has been detected of using cell phone or in possession of cell phone/SIM card inside the jail premises; or
- (v) failed to surrender himself within a period of ten day from the date on which he should have so surrendered on the expiry of the period for which he was released earlier under this Act;”.

Amendment of
section 4 of
Haryana
Act 28 of 1988.

3. Proviso to clause (b) of sub-section (1) of section 4 of the Principal Act, shall be omitted.

4. After section 5 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:

Insertion of
section 5A in
Haryana
Act 28 of 1988

“5A. Special Provisions for hardcore prisoners.—Notwithstanding anything contained in sections 3 and 4, a hardcore prisoner shall not be released on temporary basis or on furlough :

Provided that a hardcore prisoner may be allowed to attend the marriage of his child, grand child or sibling; or death of his grand parent, parent, grand parent in-laws, parent-in-laws, sibling, spouse or child, under the armed police escort, for a period of forty eight hours to be decided by the concerned Superintendent Jail and intimation in this regard with full particulars of hardcore prisoner being released, shall be sent to the concerned District Magistrate and Superintendent of Police within twenty four hours.”.

5. For section 6 of the principal Act, the following section shall be substituted, namely:—

Substitution of
section 6 of
Haryana
Act 28 of 1988

“6 (1) Notwithstanding anything contained in sections 3 and 4, no prisoner shall be entitled to be released under this Act if, on the report of the District Magistrate, the State Government or an officer authorized by it in this behalf is satisfied that his release is likely to endanger the security of the State or the maintenance of public order or cause reasonable apprehension of breach of peace.

(2) The District Magistrate, the State Government or the officer authorized to release the prisoner as provided in sections 3 and 4 of the Act shall take report from the Police within a specified time frame.

(3) In case of non-recommendation for release by the Police, the release granting authority shall pass a speaking order, if he disagrees with the report submitted to him.”.

6. In sub-section (1) of section 9 of the principal Act, for the words “three years and with fine”, the words “three years but shall not be less than two years” shall be substituted.

Amendment of
section 9 of
Haryana
Act 28 of 1988.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

It has been a repeated experience that when hardcore prisoners are released temporarily on certain grounds or on furlough under the provisions of the Haryana Good Conduct Prisoners (Temporary Release) Act, 1988, a number of them commit heinous crime again and also abscond there by failing to surrender after completion of period of parole/ furlough. The prisoner who willfully absconds or commits crime when out on parole/ furlough is a threat to society. Therefore, to prevent commission of crimes during the period of parole / furlough and to reduce / eliminate the possibility of absconding during parole/ furlough, there is a need to include further stringent provisions in the existing Act.

Hence the Bill.

PT. SHIV CHARAN LAI. SHARMA,
Minister of State
for Labour and Employment, Haryana.

Chandigarh :
The 24th August, 2012.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

2012 का विधेयक संख्या 29—एच०एल०ए०

हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) संशोधन विधेयक, 2012

हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई)
अधिनियम, 1988, को आगे संशोधित
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :

1. अधिनियम हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) संशोधन विधेयक, 2012, कहा जा सकता है।

सक्षिप्य नाम

2. हरियाणा सदाचारी बंदी (अस्थाई रिहाई) अधिनियम 1988 (जिसे, इसमें, इसके बाद, मूल अधिनियम कहा गया है) में, धारा 2 में, खण्ड (क) के बाद, निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात्—

1988 का हरियाणा
अधिनियम 28 को
धारा 2 में
संशोधित।

“(कक) “कट्टर बंदी” से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति जो -

- (i) डकैती, लूट, फिरोती के लिए अपहरण, बलात्कार सहित हत्या, आनुक्रमिक हत्या, संविदा हत्या, फिरोती या उद्दापन के लिए हत्या या हत्या का प्रयत्न करना, घोर उपहति करना, मृत्यु या भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना, वेश्यावृत्ति के प्रयोजनों के लिए अव्यस्क को खरीदना या बेचना या सोलह वर्ष से कम की आयु की महिला के साथ बलात्कार या ऐसा अन्य अपराध जो राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे, का सिद्धदोष किया गया है; या
- (ii) पांच वर्ष की किसी लगातार अवधि के दौरान विभिन्न अवसरों पर प्रतिबद्ध उपरोक्त खण्ड (i) के अधीन आने वाले अपराधों के सिवाए, भारतीय दण्ड संहिता के अध्याय XII या XVII में वर्णित एक या अधिक अपराधों को करने के लिए सिद्धदोष किया गया है और दो बार या से अधिक कारावास से दण्डादेशित किया गया है जो उसी संव्यवहार का भाग रूप नहीं है तथा ऐसी सिद्धदोषियों के परिणामस्वरूप कम से कम बारह मास की अवधि के लिए कारावास का भोग किया है :

परन्तु पांच वर्ष की अवधि दूसरे सिद्धदोष की तिथि से पहले की गिनी जाएगी तथा पांच वर्ष की अवधि की गणना करते समय, वास्तविक कारावास या निरोध की अवधि निकाल दी जाएगी ।

व्याख्या :- कोई सिद्धदोष जो अपील या पुनरीक्षण में अपास्त की किया गया है और उसके संबंध में मोगा गया कोई कारावास उपरोक्त प्रयोजन के लिए गिनती में नहीं लिया जाएगा, या

(iii) मृत्यु दण्ड से दण्डादेशित किया गया है, या

(iv) जेल परिसरों में सेलफोन का प्रयोग करते हुए या सेलफोन/सिमकार्ड उसके कब्जे में पाया गया है, या

(v) ऐसी तिथि से जिसको उसे अवधि जिसके लिए उसे इस अधिनियम के अधीन पहले रिहा किया गया था, की अवधि की समाप्ति पर इस प्रकार आत्म-समर्पण करना चाहिए था, दस दिन की अवधि के भीतर स्वयं आत्म-समर्पण करने में असफल रहता है।”

1988 के हरियाणा अधिनियम 28 की धारा 4 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के परन्तुक का लोप कर दिया जाएगा।

1988 के हरियाणा अधिनियम 28 में धारा 5 का जोड़ा जाना।

4. मूल अधिनियम की धारा 5 के बाद, निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात्:-

“5क. कट्टर बन्दियों के लिए विशेष उपबन्ध.—धारा 3 तथा 4 में दी गई किसी बात के होते हुए भी, कोई कट्टर बन्दी अस्थायी आधार पर या फरलो पर रिहा नहीं किया जायेगा :

परन्तु किसी कट्टरबन्दी को संबंधित अधीक्षक जेल द्वारा विनिश्चित की जाने वाली अड़तालीस घण्टे की अवधि के लिए, आर्मड पुलिस एस्कोर्ट के अधीन, अपने बच्चे, पोता-पोती या सहोदर भाई या बहन के विवाह; या उसके दादा-दादी, माता-पिता, दादा रासुर दादी सास, सास-ससुर, सहोदर साला-साली, पति-पत्नी या बच्चे की मृत्यु के लिए उपस्थित होने हेतु अनुज्ञात किया जा सकता है और इस संबंध में रिहा किए जा रहे कट्टरबन्दी के पूर्ण विवरण सहित सूचना संबंधित जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक को चौबीस घण्टे के भीतर भेजी जाएगी।”

1988 के हरियाणा अधिनियम 28 की धारा 6 का प्रतिस्थापन।

5. मूल अधिनियम की धारा 6 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

“6 (1) धारा 3 और 4 में किसी बात के होते हुए भी, कोई भी बन्दी इस अधिनियम के अधीन रिहाई के लिए हकदार नहीं होगा, यदि जिला मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट पर, राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की सन्तुष्टि हो जाती है कि उसकी रिहाई

से राज्य की सुरक्षा या लोक व्यवस्था बनाए रखने में स्वतंत्र या परि-शांति के भंग होने की युक्तियुक्त आशंका की संभावना है।

- (2) अधिनियम की धारा 3 और 4 में यथा उपबन्धित बंदी को रिहा करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट, राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी दिए गए विनिर्दिष्ट समय के भीतर पुलिस से रिपोर्ट लेगा।
- (3) पुलिस द्वारा रिहाई के लिए सिफारिश न करने की दशा में, रिहाई प्रदान करने वाला प्राधिकारी सकारण आदेश पारित करेगा, यदि वह उसको प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से असहमत है।”।

6. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) में “जो तीन वर्ष तक हो सकता है और जुर्माने से दण्डनीय होगा” शब्दों के स्थान पर, “जो तीन वर्ष तक हो सकता है किन्तु दो वर्ष से कम नहीं होगा” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

1988 के हरियाणा
अधिनियम 28 की
धारा 9 का
संशोधन:

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

यह अनुभव किया गया है कि जब कट्टर बन्दी, हरियाणा सदाचारी बन्दी (अस्थाई रिहाई) अधिनियम 1988 के उपबन्धों के अधीन कतिपय आधारों पर अस्थाई रूप से या फरलो पर रिहा किये गए हैं, उनमें से अधिकतर ने दोबारा जघन्य अपराध किये हैं तथा वे पैरोल/फरलो की अवधि पूर्ण होने के बाद आत्म-समर्पण करने में असफल रहते हुए फरार भी हो जाते हैं। बन्दी जो पैरोल/फरलो पर होते हुए जानबूझकर फरार होता है या अपराध करते हैं वे यह समाज के लिए खतरा हैं। इसलिए, पैरोल/फरलो की अवधि के दौरान अपराधों को करने से रोकने हेतु तथा पैरोल/फरलो के दौरान फरार होने की सम्भावनाएं कम या दूर करने के लिए विद्यमान अधिनियम में आगे कड़े उपबन्ध शामिल करने की आवश्यकता है। इसलिए यह विधेयक प्रस्तुत है।

पंडित शिव वरण लाल शर्मा,
श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री,
हरियाणा

घण्डीगढ़
24 अगस्त 2012.

सुमित कुमार,
सचिव